न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

आसीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 – 80/2019

आशा पत्नी स्व. कालूदास स्वामी निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर

.....प्रार्थीनी.....

–:बनाम:–

1 ईमानती देवी पत्नी स्व. रामदयाल विश्नोई निवासी बाबा रामदेव टैन्ट हाऊस के पास, बागीनाड़ा ,रानी बाजार तहसील व जिला बीकानेर

2. बृजलाल पुत्र तेजाराम गर्ग निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर

3. राजस्थान सरकार

.....अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री महेश सींवर, प्रार्थीनी।
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अप्रार्थी संख्या 01

–:निर्णय:–

दिनांक–23/01/2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.12.19 को मूल वाद के साथ 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानासर के खेत खसरा न. 332 में 30 बीघा भूमि वर्ष 1978 में टी.सी. आवंटन हुई थी आंवटन तिथी से आज दिनांक तक मौके पर प्रार्थीया ढाणी एवं कुण्ड आदि बनाकर निवास करती चली आ रही है। तत्पश्चात् कानासर उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पशचात् प्रार्थीया को टी.सी से पुख्ता आंवटन होकर इंतकाल संख्या 683 दिनांक 21.12.2007 से राजस्व रिकार्ड में पुख्ता आंवटन का अंकन किया गया। इंतकाल संख्या 876 दिनांक 26.3.2009 से प्रार्थीनी की 32/1 की 30 बीघा भूमि में से गंगानगर–जैसलमेर बाईपास हेतु भूमि आवाप्ति की गयी तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थीया के ख.न.332/1 की भूमि नये ख.न.872/332 में तब्दील की गयी। अप्रार्थी सख्या 1 के नाम ग्राम कानासर के ख.न.883/332 में 17.12 बीघा भूमि है। जबकि प्रार्थीनी के नाम से कानासर के ख.न.872/332 में 24.17 बीघा भूमि है। जिस प्रार्थीनी काबिज काश्त चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं कुछ अन्य व्यक्ति दिनांक 5.8.19 को मौके पर आये व प्रार्थीनी को कहा की जिस भूमि पर तुम काबिज होकर काश्त कर रही हां वह भूमि हमारी है। इसे खाली कर दो। जिस प्रार्थीनी द्वारा उन्हे कहा गया की यह भूमि मेरे पति के समय से काश्त की जाती रही है। आप लोग तो बाद मे आये हो आप लोगो का मेरे खेत से कोई लेना देना नही है। जिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नही माने

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

व जबरन पुलिस की मदद से खेत खाली करवाया। जिसके विरूद्व प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 5.8.19 को थानाधिकारी बीछवाल में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी। जिस पर पुलिस वालो द्वारा दोनो पक्षो को समझाईश करवाकर मौके पर शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 16.12.19 का पुनः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा कुछ अन्य लोग मौक पर आये और कहने लगे की कब्जा खाली करो। हमने इस भूमि की तरमीम भी अपने नाम करवाली है। जिस पर प्रार्थीया द्वारा कहा गया की यह कब्जा मै खाली नही करूगी। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीनी को जान से मारने की धमकी दी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रोही ग्राम कानासर के खेत ख.न. 883/332 में 17.12 बीघा भूमि खरीद शुदा भूमि उनके नाम चली आ रही है। जिसमें पटवारी हल्का से मिली भगत कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश लिये मन माने ढंग से में प्रार्थीनी के खेत ख.न.872/332 की 24.17 बीघा भूमि गलत तरीके से तरमीम करवाली। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिस अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री सत्यनारायण तिवाड़ी वकील उपस्थित आये और दिनांक 31.12.2019 को जवाब प्रस्तुत किया के अनुसार वकील अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की प्रार्थीनी क पति के नाम से ख.न. 332 में 30 बीघा भूमि बतौर टी.सी. आंवटन हुई थी। जिस पर प्रार्थीनी ढाणी व कुण्ड आदि बनाकर आज दिनांक तक मौके पर काबिज होने को गलत बयानी बताकर अस्वीकार किया है। प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या में वर्णित कथन 883/332 तादादी 17.12 बीघा भूमि पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त नही रहा। इस कारण प्रार्थीनी का अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 ता 13 को अस्वीकार करते हुए विशेषकथन मे निवेदन किया की प्रार्थीनी ने ग्राम कानासर में खेत ख.न.872/332 की 24 बीघा 17 बिस्वा की भूमि हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसका जो नक्शा ही प्रस्तुत किया उसमें भूमि की लोकेशन अंकित नही की हुई हैं तथा उक्त नक्शे में प्रार्थीनी भूमि तरमीम शुदा नही है। जिसके कारण जब तक उक्त तथ्य स्पष्ट नही हो प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकार नही रखती है। प्रार्थीनी ख.न.872/332 की आड में अप्रार्थीनी न.1 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा न.883/332 की बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा चाहती है। जबकि ख.न. 883/332 अप्रार्थीनी न.1 ईमानती देवी की खातेदारी एव कब्जेशुदा भूमि है। जिस पर अप्रार्थीनी न.1 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीनी द्वारा अपने परिवार सदस्यो के सहयोग से अप्रार्थीनी की कब्जे शुदा भूमि के चारो दिशाओ की तारबन्दी को जबरदस्ती तोड़ा जिस पर अप्रार्थीनी द्वारा अपने भतीजे महावीर विश्नोई को मार्फत थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करवायी गयी। अप्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.न.883/332 की 17.12 नक्शे में तरमीम शुदा है , ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के पक्ष में तथाकथित गलत तरमीम के आधार पर कोई अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्रदत नही की जा सकती। नक्शे में तरमीम सही हुई या गलत हुई यह बात साक्ष्यो की मोहताज है। जो दावे के परीक्षण के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

ही सिद्व हो सकती है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर कोई कानूनन कोई निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है। वादीनी द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है। उसमें वादीनी ने घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा है तथा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नक्शे में हुई तथाकथित गलत तरमीम को दुरूस्त करवाना चाहा है। जो दावे में अंकित धाराओ की परिधी में नही आता है। इस कारण भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र मेरिट लेस, फ्विलस व बोगस होने से विशेष कोस्ट लगाकर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के वकील श्री महेश सींवर द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि कानासर के खेत खसरा न. 332 में 30 बीघा कृषि भूमि उनके पति को टी.सी. आंवटित होकर पुख्ता आंवटित हो गई। अप्रार्थी संख्या 2 का इस जमीन से कोई सरोकार नही है। पटवारी द्वारा बिना मुझे सुने नक्शे में तहरीर व तरमीम कर दिया। उक्त भूमि पर मेरा विधिक अधिकार है और मेरे कब्जे काशत में है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब के कथनो को दोहराते हुए अवगत कराया की कानासर के ख.न. 332 में आवंटन हुआ तत्पश्चात् नक्शे में तरमीम होकर ख.न.883/332 में 17 बीघा 12 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन हुई। जबकि प्रार्थीनी की भूमि 872/332 में दर्ज रिकार्ड है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह भी कथन किया कि दावे में भूमि की स्पष्ट लोकेशन का अंकन नही है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे हमारी भूमि ख.न.883/332 पर काबिज होना चाहते है। जबकि हमने हमारी भूमि पर तारबन्दी की हुई है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आर.आर.डी 1974 पेज 447 की नजीर भी प्रस्तुत कर निवेदन किया की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। यह तथ्य स्पष्ट है कि जिस भूमि पर प्रार्थी स्थगन की मांग कर रहे है। उस भूमि के रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण है। प्रार्थी ने जो भी साक्ष्य या तथ्य बताये है। वे दौराने साक्ष्य में सिद्व होगे। तब तक इन परिस्थितियों मे इसमें तुलनात्मक रूप से प्रकरण का झुकाव प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण का पक्ष ज्यादा मजबूत है और रिकोर्डड खातेदार के विरूद्व स्थगन जारी नहीं हो। यह सामान्य सिद्वान्त है। जिसके सम्बन्ध में नजीर भी पेश की है। ऐसी परिस्थितियों मे प्रार्थीनी प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति को सिद्व नहीं कर पाये है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: